

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या — 15/औ०-15-12/2008 —..... पटना, दिनांक —.....2026

राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना द्वारा गठित छापामारी दल के द्वारा दिनांक-19.01.2008 को सील किये गये पटना स्थित कुल-04 विक्रय प्रतिष्ठानों का सील निरीक्षण के पूर्व खुलवाकर आपत्तिजनक औषधि एवं दस्तावेजों को हटाने में सहयोग करने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने तथा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-9(1) (क) में निहित प्रावधान के तहत विभागीय पत्रांक-430(15), दिनांक-07.03.2008 के द्वारा श्री शंभुनाथ ठाकुर, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-04 सम्प्रति सहायक औषधि नियंत्रक, समस्तीपुर को निलंबित किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या-1781(15), दिनांक- 22.08.2008 के द्वारा श्री ठाकुर को निलंबन मुक्त किया गया। विभागीय संकल्प संख्या-770(15), दिनांक-22.05.2009 द्वारा नियमानुसार आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-435(15), दिनांक-28.05.2018 द्वारा आरोप मुक्त करते हुये विभागीय कार्यवाही निष्पादित किया गया परन्तु निलंबन अवधि निरूपण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के भाग (iv) के नियम 11 के कंडिका-03 में प्रावधान है कि “जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को इस नियम के उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता/ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्तो का एवं अन्य भत्तो का समायोजन कर लिया जायेगा”।

चूँकि श्री ठाकुर को विभागीय अधिसूचना संख्या-435(15), दिनांक-28.05.2018 द्वारा आरोप मुक्त किया गया है। अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री ठाकुर का निलंबन अवधि दिनांक-07.03.2008 से 22.08.2008 तक को कर्तव्य अवधि के निरूपित करते हुए अनुमान्य वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेतनादि भुगतान के क्रम में पूर्व में भुगतेय भत्ता आदि की राशि का नियमानुसार समायोजन कर लिया जाएगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-15-12/2008703(ISA) पटना/दिनांक : 20/7/..... 2026

प्रतिलिपि : सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/7/26

- प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, समस्तीपुर एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : श्री शंभु नाथ ठाकुर, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-04 सम्प्रति सहायक औषधि नियंत्रक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।